

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

प्रेषक,

विद्यानन्द जमादार,
सरकार के अवर सचिव।

सेवा में,

प्रभारी पदाधिकारी,
वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग,
बिहार, पटना।

पटना, दिनांक

विषय : डा० खुशबू कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर का दिनांक-29.08.2023 से 15.03.2024 तक का अवधि के विनियमन के सम्बन्ध में।

महाशय,

निदेशानुसार, उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है कि विभागीय अधिसूचना संख्या-1190(2), दिनांक-02.09.2021 द्वारा डा० खुशबू कुमारी को चिकित्सा पदाधिकारी के पद पर अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, धनौरा, गरखा, सारण में नियुक्ति-सह पदस्थापन किया गया, जिसके अनुपातन में डा० कुमारी द्वारा दिनांक-07.09.2021 को योगदान कर उसी दिन सीनियर रेजिडेंट (टेन्योर) पूर्ण करने हेतु अधिसूचना के कंडिका-15 के आलोक में सिविल सर्जन, सारण के आदेश ज्ञापांक-2138, दिनांक-07.09.2021 के द्वारा नारायण मेडिकल कॉलेज, सासाराम के लिए विरमित हो गयी। टेन्योर समाप्ति के उपरान्त डा० कुमारी के द्वारा दिनांक 29.08.2023 को द्वितीय योगदान विभाग में दिया गया तथा डा० कुमारी दिनांक-29.08.2023 से 15.03.2024 तक पदस्थापन की प्रतीक्षा में रही। तत्पश्चात विभागीय अधिसूचना सं०-356(2), दिनांक-15.03.2024 के द्वारा डा० कुमारी का पदस्थापन श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर में किया गया। उक्त अधिसूचित संस्थान में डा० कुमारी के द्वारा दिनांक-16.03.2024 के पूर्वाह्न में प्रभार ग्रहण किया गया।

वर्णित स्थिति में डा० खुशबू कुमारी के दिनांक-29.08.2023 से 15.03.2024 तक की अवधि को निम्न रूप में विनियमित किया जाता है -

i.	दिनांक-29.08.2023 से 20.09.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
ii.	दिनांक-21.09.2023 से 22.09.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
iii.	दिनांक-23.09.2023 से 08.10.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
iv.	दिनांक-09.10.2023 से 12.10.2023 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
v.	दिनांक-13.10.2023 से 31.12.2023 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।
vi.	दिनांक-01.01.2024 से 19.01.2024 तक	-	असाधारण अवकाश के रूप में। (बिहार सेवा संहिता के नियम-180)
vii.	दिनांक-20.01.2024 से 15.03.2024 तक	-	पदस्थापन की प्रतीक्षा अवधि के रूप में (स्वास्थ्य विभाग मुख्यालय)।

2 प्रस्ताव में वित्त विभाग, बिहार की सहमति प्राप्त है।

विश्वासभाजन

ह०/-

(विद्यानन्द जमादार)

६

ज्ञापांक-2/सांवि०पदा०-176/2024- 1004(2) पटना, दिनांक 18/6/2025

प्रतिलिपि: महालेखाकार (ले० एव ह०) बिहार वीरचन्द पटेल पथ, पटना/अधीक्षक, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर/कोषागार पदाधिकारी, मुजफ्फरपुर/डा० खुशबू कुमारी, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी, श्री कृष्ण चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल, मुजफ्फरपुर /प्रशाखा-3, 9 एवं 18A को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि . आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।


12/6/25
सरकार के अवर सचिव।